न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

मुकदमा नं. 14 / 2017

बहक श्री रामपाल, परमेश्वर पि०
पुत्र श्री कानाराम बावरी
जाति बावरी नि टापरवाड़ा
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम टापरवाड़ा खसरा नम्बर 97 रकबा 0.2900 हैक्टर किस्म सिवायचक बा०4 (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री रामपाल परमेश्वर पि० पुत्र श्री कानाराम जाति बावरी निवासी टापरवाड़ा (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा ग्वार की फसल बोकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी परमेश्वर उपस्थित हुआ। अप्रार्थीगण की तरफ से कोई लिखित जबाब पेश नहीं किया गया। उक्त ख. नं. पर फसल ग्वार बोकर कब्जा अतिक्रमण की मौखिक रूप से हाँ की गई। फसल कुर्क व फसल निलामी हेतु LR रिड़ को आदेशित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम टापरवाड़ा ख.न. 97 रकबा 0.29 है. किस्म सिवायचक बा०4 पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर ग्वार की फसल बोकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रतिहै० का 50 गुणा रूपया 4.35 रु० पूर्णांक 4.00 रु० (रूपये चार रूपये जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है। फसल निलामी- बुद्धराज S/o मोतीराम मेघवाल सा० टापरवाड़ा 400/-

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला नागौर (राज.)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)